

प्ररूप-5
[नियम 10 (2)]
सामाजिक जांच रिपोर्ट के लिए आदेश

प्र०सू०रि० संख्या.....

धारा के अधीन.....

पुलिस स्टेशन.....

सेवा में,

परिवीक्षा अधिकारी/स्वैच्छिक अथवा गैर-सरकारी संगठन का प्रभारी व्यक्ति

.....(बालक का नाम) पुत्र/पुत्री..... आयु..... निवासी

को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है।

आपको एतद्वारा निर्देश दिया जाता है कि उक्त बालक द्वारा तथाकथित अपराध के सामाजिक पूर्ववृत्त, पारिवारिक पृष्ठभूमि तथा परिस्थितियों की जांच कर ले और अपनी सामाजिक जांच-पड़ताल रिपोर्टको अथवासे पूर्व, अथवा बोर्ड द्वारा आपको दिए गए समय के अंदर प्रस्तुत करें।

आपको यह भी निर्देश दिया जाता है कि बाल मनोविज्ञान, मानसिक उपचार अथवा परामर्शी अथवा अन्य किसी विशेषज्ञ से, यदि आवश्यक हो, परामर्श कर लें और अपनी सामाजिक जांच रिपोर्ट के साथ ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

तारीख:

हस्ताक्षर
प्रधान मजिस्ट्रेट/सदस्य
किशोर न्याय बोर्ड